YOUNG INDIA > YOUNG PAPER

NBT

नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली > सोमवार, 26 सितंबर 2022 > आश्विन 4 शक संवत 1944 आश्विन, शुक्ल, प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 www.navbharatgold.com वर्ष 76, संख्या 229 > पेज 24* > गाजियाबाद > मूल्य 3.50 या 8.50* रुपये द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित www.nbt.in

*मासिक खरीद पर ही लागू

नवरात्रि शुरू

देवी शैलपुत्री की पूजा आज

घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 7:16 बजे तक

GhaziabadTimes

रिलीज से पहले शाहरुख की फिल्म ने करोड़ों कमाए

1 से लागू होगा ग्रैप, PUC न होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

डीजी सेट चलाने पर पूरी तरह रोक, प्रदूषण फैलाने पर होगा एक्शन

■ प्रमुख संवाददाता, गाजियाबाद

वायु प्रदूषण से जंग लड़ने के लिए एक अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू हो जाएगा। जिला प्रशासन, जीडीए, नगर निगम और अन्य विभाग अपनी तैयारी पूरी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इनकी तैयारी कितनी है, इसका पता तो ग्रैप लागू होने के वाद ही चलेगा। इस वार ग्रैप 15 दिन पहले ही लागू किया जा रहा है। यूपीपीसीवी के रीजनल ऑफिसर उत्सव शर्मा ने वताया कि इस वार सभी विभाग की जिम्मेदारी तय कर दी गई। प्रदूषण को लेकर भी इस वार 3 दिन पहले ही भविष्यवाणी होगी, ताकि सभी विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं। उद्योगों के साथ सोसायटियों में भी डीजी सेट चलाने पर पूरी तरह से रोक है। सोसायटी में केवल लिफ्ट संचालन के लिए डीजी सेट चलेगा। उद्योग पीएनजी से संचालित किए जा सकेंगे, जहां पर अभी तक पीएनजी का सिस्टम नहीं है, वहां पर वायोमास से चलाने की अनुमति रहेगी। प्रतिवंधित तेल और कोयले से इंडस्ट्री संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ भी नियमित कार्रवाई का दावा है।

वाहनों पर करेगी टीम कार्रवाई

एआरटीओ प्रवर्तन राघवेंद्र सिंह का कहना है कि यदि कोई वाहन विना पीयूसी (पलूशन अंडर कंट्रोल)के चलता हुआ पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रैप लागू होने के वाद इसके लिए स्पेशल टीम वनेगी, जो नियमित रूप से ऐसे वाहन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उत्सव शर्मा ने वताया कि अभी तक पीएम के स्तर को देखकर ग्रैप को लागू किया जाता था, लेकिन पहली वार एक्यूआई के आधार पर ग्रैप को लागू किया जाएगा। इसके लिए 4 श्रेणी तैयार की गई हैं। खराव, वहुत खराव, खतरनाक और खतरनाक प्लस है। उन्होंने वताया कि आईएमडी द्वारा शहर की हवा को लेकर 3 दिन पहले ही भविष्यवाणी की जाएगी। इसके वाद ग्रैप को लागू करते हुए कार्रवाई को तेज किया जाएगा। इस वार यदि खतरनाक प्लस यानी 450 के ऊपर एक्यूआई जाता है तो वर्क फ्रॉम होम करने का नियम वनाया गया है।

स्टेज	श्रेणी	एक्यूआई
1	खराब	201-300
2	बहुत खराब	301-400
3	खतरनाक	401-450
4	खतरनाक प्लस	450 से अधिक

टूटी सड़कें फिर बनेंगी चुनौती

ग्रैप लागू होने के वाद नगर निगम, जीडीए, पीडव्ल्यूडी और एनएचएआई के लिए टूटी सड़कें एक वार फिर चुनौती वनेंगी, क्योंकि सितंवर में वारिश हो रही है। ऐसे में सड़कें और ज्यादा टूटी होंगी। तत्काल प्रभाव से यदि इन्हें ठीक नहीं किया गया तो धूलकण उठेंगे और पीएम-10 का स्तर काफी वढ़ा देंगे।

यहां सड़कों की हालत ज्यादा खराब

भोपुरा रोड, अफसरा ऑर्डर, आरटीओ ऑफिस के सामने, न्यू वस अड्डा रोड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के सामने, नेहरूनगर यशोदा अस्पताल के सामने, गणेश अस्पताल के पास की रोड, पुरानी सब्जी मंडी, वसुंधरा जोन में सवसे अधिक दिक्कत होती है।

महंगी पड़ रही है पीएनजी

ऑल इंडिया मेटल फोर्जिंग असोसिएशन के प्रेजिडेंट वृजेश कुमार अग्रवाल का कहना है कि पीएनजी का रेट इस समय 71 रुपये चल रहा है। यदि उद्योगों को पीएनजी पर चलवाना है तो सब्सिडी देने की दिशा में सरकार को कदम वढ़ाना चाहिए, ताकि उद्योगपति इसके लिए प्रेरित हों। सर्दियों के शुरू होते ही इसका रेट 100 रुपये तक पहुंच जाएगा। ऐसे में उद्योगों को चलाना वहुत मुश्किल हो जाएगा।

अभी मौजूदा ये हैं संसाधन

नगर निगम के पास

स्वीपिंग मशीन 6, 15 पानी के टैंकर छिड़काव में

जरूरत- 10 स्वीपिंग मशीन, 20 पानी के टैंकर

जीडीए के पास

स्वीपिंग मशीन एक भी नहीं

जरूरत- 3 मशीन की

पानी के टैंकर-5, जरूरत- 5 और की

एंटी स्मॉग गन निर्माण साइट पर नहीं

पब्लिक को भी करनी होगी मदद

- गाड़ी के इंजन को सही रखना होगा
- टायर के प्रेशर को सही रखना होगा
- पीयूसी को अपडेट रखें
- रेडलाइट पर गाड़ी को बंद रखें
- खुले में कूड़े को न फेंके
- अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें
- तय समय पर वाहन का एयर फिल्टर को चेंज करें
- अक्टूबर से जनवरी तक धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्य से बचें
- कार पूल करके ऑफिस जाएं, साइकल का प्रयोग करें
- वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो तो उसे जरूर लें
- गर्मी के लिए कोयला और लकड़ी न जलाएं

“हमने क्रेडाई के सभी मान्यता प्राप्त डिवेलपर्स को एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। पानी का छिड़काव, ग्रीन नेट कवरिंग आदि। हम उम्मीद करते हैं कि डिवेलपर्स ग्रैप अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

–मनोज गौड़, प्रेजिडेंट क्रेडाई एनसीआर एवं सीएमडी गौड़ ग्रुप